RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

क्रमांक : प. 15(15)आई.टी / ई–फाईल / पवि / 2022 दिनांक :

खुली निविदा सूचना संख्या (/ 13.04.2023)

विभागीय पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की स्केनिंग का कार्य करने हेतु पंजीकृत फर्मों से खुली निविदा सूचना के माध्यम से निम्नानुसार दर संविदा आधार पर निर्धारित प्रपत्र में बोली आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते https://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट https://tourism.rajasthan.gov.in पर भी देखी व डाउनलोड की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं नियत दिनांक एवं समय पर इस कार्यालय में उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

कार्य का नाम	उपापन की अनुमानित लागत राशि (रू.)	बोली प्रतिभुति राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र बेचने या डाउनलोड़ करने की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र बेचने या डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
विभागीय पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की स्केनिंग का कार्य (As Per Appendix-A) अनुमानित पेज संख्या 4.26 लाख	4.26 Lacs	8520/-	17.04.2023	26.04.2023 12:00 PM	26.04.2023 03:00 PM

नियम व शर्ते :–

1. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रत्येक बोली प्रपत्र का शुल्क 500 /– रू होगा।
3. बोली की दरें 90 दिन तक मान्य होंगी।
4. बोली के साथ बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति का पृथक–पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक (निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से देय) जमा करवाया जाना आवश्यक है। बिना बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं होगा।
5. उक्त सेवाऐं त्वरित गति से वांछनीय है अतः वे ही फर्मे दरें प्रस्तुत करे जिनके पास सेवाएँ प्रदाय सम्बन्धित पूर्ण साधन उपलब्ध हो ।
6. फर्म का कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए।
7. फर्म का टर्नऑवर न्यूनतम पाँच लाख होना चाहिए।
8. फर्म को राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा blacklist नहीं किया हुआ होना चाहिए।
9. फर्म को स्वप्रमाणित पैन एवं जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

10. भुगतान हेतु फर्म को बैंक खाते से संबन्धित समस्त सूचना हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पेज की प्रतिलिपी या Cancelled Cheque उपलब्ध करवाना होगी।
11. फर्म को विभाग में ई–फाईल स्कैनिंग कार्य हेतु अधिकृत व्यक्ति एवं मैनपॉवर की सूचना (नाम एवं मो.न.) उपलब्ध करवानी होगी।
12. किसी को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा।
13. निविदा जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
14. किसी निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र जमा करवाने में देरी हो जाती है तो उसके लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
15. निविदा प्रपत्र के सभी प्रपत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करें।
16. बोलीदाता का कार्यालय जयपुर में होना अनिवार्य है।
17. निविदा भरते समय सम्बंधित निर्देशों का पालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप निविदा प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(संजय पांडे)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

निविदा शुल्क 500/–

खुली निविदा सूचना संख्या (/2022–23)

निदेशक ,
पर्यटन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारम्भ दिनांक : दिनांक 17.04..2023 से
निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय : दिनांक 26.04.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय : दिनांक 26.04.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : दिनांक 26.04.2023 को दोपहर 03:00 बजे

1. विभागीय पत्रावतियों एवं दस्तावेजों की स्कैनिंग का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता..
....
....................................फोन नम्बर ऑफिस...मो.न..
ई–मेल..

2.अधिकृत व्यक्ति जिससे सम्पर्क किया जा सके :–
नाम...पद.......................................
मोबाईल नं...ई–मेल...
3.निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का PAN...
4.निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का GST No..
5.बैंक व शाखा का नाम...
6.बैंक खाता संख्या .... आईएफएससी कोड...
7.निविदा शुल्क की राशि निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से रू. 500/– (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) का बैंकर चैक या ड्राफ्ट संख्या.. दिनांक.......................... राशि रूपये .... द्वारा संलग्न है।
8.बोली प्रतिभूति राशि निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से रू.   /– (अक्षरे   रूपये मात्र) का बैंकर चैक या ड्राफ्ट संख्या.. दिनांक.......................... राशि रूपये ....द्वारा संलग्न है।
9.निविदा सूचना जो निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वार स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
10. GST पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं PAN नम्बर की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

11. स्केनिंग कार्य हेतु दरें निर्धारित प्रपत्र **Appendix-A** में भरकर एवं हस्ताक्षर मय सील संलग्न कर दिया गया है।
12. निविदा में दी गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिन तक वैध रहेंगी। सफल निविदादाता की स्वीकृत दरें करार की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

खुली निविदा सूचना संख्या (/2022–23)

निविदा की सामान्य शर्तें

निविदा भरना–

निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार दरें यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिये।

1. भरी हुई निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय दस्तावेज अलग–अलग लिफाफे में) अंतिम तिथि को निर्धारित समय तक मुहरबंद लिफाफे में कमरा नं. 210, पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायपुरी पुलिस थाने के सामने, जयपुर–302001 पर जमा करवानी होगी।
2. तकनीकी लिफाफे में निम्न दस्तावेज होनें चाहिए :–
   - निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर्स चौक / डी.डी.
   - स्व–हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज।
   - स्वप्रमाणित फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र।
   - स्वप्रमाणित पैन एवं जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र।
   - जयपुर स्थित कार्यालय के पते का प्रमाण
   - स्वप्रमाणित बैंक पासबुक के प्रथम पेज अथवा कैंसिल चैक की प्रतिलिपी।
   - राशि रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिश्यल स्टांप पर राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा blacklisted नहीं होने का प्रमाण–पत्र।
   - मैनपॉवर (नाम एवं मोबाईल नं.) की सूचना।
   - टर्न ऑवर के लिये चार्टर्ड एकाउटेंट का प्रमाण–पत्र।
   - स्व–हस्ताक्षरित Annexure-A,B,C,D (संलग्न)
3. वित्तीय लिफाफे में स्केनिंग कार्य हेतु दरें निर्धारित प्रपत्र **Appendix-A** में भरकर एवं हस्ताक्षर मय सील होना चाहिए।
4. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे सीलबंद होने चाहिए।
5. निविदा स्याही से भरी हुई होनी चाहिए (पेंसिल अथवा अन्य किसी से नहीं)। भरी गई बोली में उपरी लेखन /कटिंग नहीं किया जाना चाहिए।
6. निविदादाता को निविदा की शर्तों और प्रविष्टियों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने होगें।
7. निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. मुहरबंद लिफाफे पर ''स्केनिंग कार्य हेतु निविदा'' अवश्य अंकित किया जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

कार्य विवरण एवं सम्पादन बाबत निर्देश–

1. विभागीय पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की स्केनिंग का कार्य निदेशक, पर्यटन विभाग के निर्देशानुसार संपादित किया जाना है।
2. फर्म द्वारा उक्त कार्य बाबत कम्प्यूटर, स्कैनर एवं अन्य संसाधन स्वयं के स्तर से निदेशालय मुख्यालय पर स्थापित करने होंगे। विभाग द्वारा केवल बैठने के लिए स्थान, बिजली कनेक्शन एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा।
3. सक्षम स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त कार्यादेश के अनुरूप ही फर्म द्वारा कार्य संपादन किया जावेगा।
4. कार्य की मात्रा अनुमानित है. इसमें आवश्यकतानुसार कमी /वृद्धि की जा सकेगी।
5. निविदा अनुसार कार्य कराने के लिए संवेदक द्वारा नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों के किसी भी प्रकार के दायित्वों हेतु विभाग/कार्यालय की कोई देयता (Liability) नहीं होगी।
6. संवेदक के कर्मकारों द्वारा विभाग/कार्यालय की सम्पति को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति फर्म द्वारा की जायेगी।
7. नियुक्त ऑपेरटर/कर्मकारों की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी फर्म की होगी एवं फर्म द्वारा अधिकृत रूप से परिचय पत्र जारी किया जाकर उसकी लिखित सूचना कार्यालय को देनी होगी।
8. कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस के भीतर फर्म को स्केनिंग कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता फर्म की स्केनिंग क्षमता कम से कम 8000 पेज प्रतिदिन अनिवार्यतः होनी चाहिए।
10. सेक्शन प्रभारी उनके पास उपलब्ध पत्रावलियों (जिनकी नोटशीट व दस्तावेज स्केन कराने है) को निम्नानुसार सूची बनाकर एवं पत्रावलियों में पृष्ठ नम्बर अंकित कर ही पत्रावलियों को स्केन करने वाली फर्म (वेन्डर) को उपलब्ध कराएंगे।

क्र. स.	पत्रावली का पूर्ण नं.	पत्रावली का विषय	नोटशीट के कुल पृष्ठ	दस्तावेज के कुल पृष्ठ

11. फर्म को दी जाने वाली सूची में एक से अधिक पृष्ठ होने पर सम्बंधित सेक्शन प्रभारी इस कार्य के लिए मनोनीत किसी भी कार्मिक द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।
12. सेवा प्रदाता (Vendor) पत्रावलियों को प्राप्त करते समय बिन्दु संख्या 11 में अंकित सूची अनुसार पत्रावलियों के पृष्ठों का मिलान कर सूची को एक फाईल में तिथिवार संधारित रखेगा।
13. सेवा प्रदाता (Vendor) संलग्न प्रपत्र (Annexure-E) में रजिस्टर संधारित करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

14. सेवा प्रदाता (Vendor) पत्रावली के नोटशीट व दस्तावेजो की स्कैनिंग, गुणवत्ता जाँच (QC) व पी.डी.एफ. फाईल संरक्षित करेंगे।
15. Scanning Specifications & Format-

Document Type/Condition	Color & DPI Regular
Regular text	200 dpi
Text with images	300 dpi
Very Damaged/Tarnished/Clouded	450 dpi
Seriously damaged/Tarnished/Clouded	600 dpi
Documents with Photograph	600 dpi

16. सेवा प्रदाता (Vendor) पत्रावली / सूची में अंकित पत्रावली के पूर्ण नम्बर के नाम से ही फोल्डर बनायेंगे एवम् स्केन किये गये नोटशीट व दस्तावेजों की PDF को अलग–अलग फाईल (पत्रावली के पूर्ण नम्बर +NS व पत्रावली के पूर्ण नम्बर +Document बनाकर फोलडर (पत्रावली के नम्बर वाले) में सरक्षित (Save) करेंगा। सेवा प्रदाता (Vendor) पत्रावली के नाम में / के स्थान पर का उपयोग करें। उदाहरण स्वरुप पत्रावली संख्या प. 25 (9) प्रसु / अनु–1 / 2019 के फोल्डर को प. 25 (9) प्रसु अनु–1 2019 प्रकार से Create किया जा सकता है ।
17. सेवा प्रदाता (Vendor) यथासंभव सायं काल को या अगले दिन उन्हें उस दिन प्राप्त भौतिक पत्रावली के साथ ही स्केन की गयी नोटशीट व दस्तावेजों की पीडीएफ तैयार कर संबंधित कार्मिक को उपलब्ध कराएंगे।
18. संबंधित कार्मिक पत्रावली व उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सेवा प्रदाता (Vendor) के रजिस्टर में ही हस्ताक्षर मय सील लगाकर प्राप्ति को सत्यापित करेंगा। सील नहीं होने की स्थिति में नाम, पदनाम सेक्शन या ग्रुप संख्या व रूम नंबर अंकित करेंगे।
19. PDF के साइज 50 MB से अधिक होने की स्थिति में कार्मिक संलग्न Annexure-F में अंकित प्रकिया एवं आवश्कतानुसार PDF Split कर सकते है।
20. सम्पूर्ण विभाग के कार्य को नोडल अधिकारी सप्ताहिक रूप से सत्यापित करेंगे।
21. संवेदक उक्त कार्य बाबत् एक रजिस्ट्रर का संधारण करेगा जिसमें विभागीय शाखावार पत्रावली क्रमांक, पत्रावली का नाम, नोटशीट मय दस्तावेजों की संख्या, प्राप्ति एवं हस्तांतरण हस्ताक्षर इत्यादि का उल्लेख होगा।
22. पत्रावलियों को कम्प्यूटर में स्कैनिंग पश्चात विभागीय शाखावार पत्रावलियों के नाम एवं उनके भाग (1 भाग – अधिकतम 50 एम.बी.) के अनुसार संधारित किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

<u>धरोहर राशि–</u>

1. निविदा शुल्क रूपये 500/– (अक्षरे पांच सौ मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम जमा करवाया जाना आवश्यक है इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा के साथ निविदा की कुल अनुमानित राशि के 2 प्रतिशत राशि के बराबर धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता को 5 प्रतिशत राशि के बराबर (धरोहर राशि का समायोजन किये जाने के पश्चात) प्रतिभूति राशि के रूप में RTPP Rules में निहित पद्धति से किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या राष्ट्रीय बचत पत्र या अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद जमा करवानी होगी।
4. निविदा स्वीकृति पश्चात
   (1) असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
   (2) सफल निविदादाता की धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा।
5. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

<u>दर कर एवं अनुबन्ध–</u>

1. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मुहर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
2. दर शब्दों एवं अको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अकों व शब्दों में लिखी दरों में अंतर की स्थिति में अंकों में अंकित दर पर विचार किया जायेगा।
3. दर समस्त प्रकार के देय करों व प्रभारों को सम्मिलित करके दी जानी हैं।
4. सफल बोलीदाता को अपने खर्चे पर, बोली स्वीकृति की सूचना मिलने के 07 कार्य दिवस में निर्धारित प्रारूप में उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा।
5. विभाग द्वारा स्वीकृत दरें अनुबंध निष्पादन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगीं।

<u>भुगतान प्रक्रिया–</u>

1. कार्य संतुष्टीपूर्ण पाए जाने पर किये गए कार्य का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। भुगतान हेतु फर्म द्वारा किये गए कार्य का बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

2. भुगतान में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं जीएसटी (TDS, GST) की कटौति की जावेगी तथा इसका प्रमाण पत्र (प्रपत्र 16ए) जारी किया जावेगा।
3. कार्यादेश की राशि रूपये 2.50 लाख से अधिक होने की स्थिति में जीएसटी टीडीएस की कटौति की जावेगी।
4. बिल की जांच एवं आवश्यक कटौतियों के पश्चात् देय राशि का भुगतान **मासिक आधार पर** कोषालय के माध्यम से संवेदक के बैंक खाते में जमा कराया जावेगा।
5. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. निविदा शर्तों के अनुसार प्रति पेज राशि के भुगतान के अलावा अन्य कोई शुल्क, व्यय, कर राशि इत्यादि विभाग द्वारा देय नहीं होंगे ।

अन्य शर्तें–

1. फर्म अपना निविदा कार्य किसी अन्य को किसी भी अवस्था में हस्तान्तरण/सबलेट नहीं कर सकेगा।
2. अगर फर्म असंतोषप्रद रूप से तथा/अथवा नियम/ अनुबन्ध के विरूद्ध कार्य करती है तो अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को होगा।
3. अनुबन्ध के पश्चात् फर्म द्वारा कार्य छोड़ने की स्थिति में फर्म को पर्यटन विभाग द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से blacklist कर दिया जावेगा तथा जमा करवायी गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
4. उक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त/विपरीत निविदादाता की कोई अन्य शर्त निविदा में लिखी गई तो वह मान्य नहीं होगी अर्थात निविदादाता की किसी भी शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जाने वाली किसी सिफारिश के कारण बोली अमान्य की जावेगी।
6. निविदा से संबंधित प्राप्त किसी बोली/बोलियों को बिना कारण अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को होगा।
7. निविदा के संबंध में अथवा इसके तहत निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबंध से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद होता है तो इस विवाद पर निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं संवेदक को मान्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता संबंधी मापदंड पूरे करने अनिवार्य होंगे ।
9. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें जिनका उल्लेख इसमें नहीं है, के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–द्वितीय के प्रावधान लागू माने जावेंगें।
11. फर्म को विभाग/कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी दस्तावेजों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखना होगा एवं स्केनिंग हेतु विभागीय दस्तावेज कार्यालय से बाहर नहीं ले जाये जा सकेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

12. फर्म स्केनिंग कार्य करते समय विभागीय दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाए रखेगी।
13. परिदान अवधि में वृद्धि :– परिनिर्धारित नुकसानी के साथ परिदान अवधि में वृद्धि किए जाने के मामले में निविदादाता जिन सामानों का प्रदाय करने में असफल रहा है, उनके मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए;	2.5%
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए;	5%
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए;	7.5%
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए ।	10%

टिप्पणी:- प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश भाग को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड़ दिया जाएगा। परिनिर्धारित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि :–

(1) इस निविदा के संबंध में विशिष्ट शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया गया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। मैं/हम इन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

(2) इस निविदा के तहत् अनुबंध होने पर निविदा अनुरूप कार्य कराने के लिए मेरे/हमारे द्वारा नियोजित किये जाने वाले कर्मकारों के किसी भी प्रकार के दायित्वों हेतु पर्यटन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

(4) मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत वर्णित निविदादाता संबंधी सभी योग्यता मापदण्ड पूरे करते हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

Appendix-A

पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

, खुली निविदा सूचना संख्या (/2022–23)

दर अनुसूची

1. फर्म का नाम व पूर्ण पता...
2. दूरभाष नम्बर / मोबाईल नम्बर...
3. पैन नम्बर (आयकर विभाग)...
4. जीएसटी नम्बर...
5. बैंक शाखा का नाम...
6. बैंक खाता संख्या...

कार्य का विवरण **विभागीय पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की स्केनिंग का कार्य** **Resolution–300/600 dpi**	**दर प्रति पृष्ठ**			
	दर	**जी.एस.टी.**	**कुल**	**छर प्रति पेज शब्दों में जी.एस.टी. सहित**
I. ADF Scanner-Cost of scanning of document (B/W, Greyscale/Colour)				
Paper Size A3				
Paper Size Legal				
Paper Size A4				
II. Flatbed Scanner--Cost of scanning of document (B/W, Greyscale/Colour)				
Paper Size A3				
Paper Size Legal				
Paper Size A4				
III. Overhead Scanner-Cost of scanning of document (B/W, Greyscale/Colour)				
Paper Size A3				
Paper Size Legal				
Paper Size A4				

उपरोक्त दरें मैंने /हमने संलग्न शर्तों का अध्ययन कर भरी है. मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं।

दिनांक..........................

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit or to otherwise influence the procurement process;
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any; and disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder maybe considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:-

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ...... for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder Name:

Place :

Designation: Address:

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ……………….

The designation and address of the Second Appellate Authority is……………….

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annex[illegible] along with as many copies as there are respondents in the appeal.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second ·appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन,विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने,एम.आई. रोड,जयपुर–302001
ई–मेल : acpdd-dot@rajasthan.gov.in वेबसाईट : www.tourism.rajasthan.gov.in
टे.न. 0141–2822812

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   1. Official address, if any:
   2. Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
   ……………………………………………………………………………………………

   ….………….………………………………………………………………………………

   ……………………… …………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place ....

Date ....

Appellant's Signature:

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism
"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

Annexure D :

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to

(i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than [illegible] of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

(i) As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism
"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

Annexure-E

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism

"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

(Annexure 'E')

Scanning Record Register

Register Page No.......

Group-------------

Department Name---------------------------

Left Side Part										Right Side Part					
S. No.	Section Name	File No. (जैसा फाईल पर लिखा है)	Subject (जैसा फाईल पर लिखा है)	विभाग से फाईल भेजने वाले सेक्शन प्रभारी का नाम व पद मय सील/रूम नम्बर व मोबाईल नम्बर	फाईल प्राप्त करने वाले मनोनीत कार्मिक के हस्ताक्षर व नाम	फाईल प्राप्त करने वाले का नाम (Vender)	फाईल प्राप्त करने का दिनांक	पृष्ठो की संख्या (NoteSheet)	पृष्ठो की संख्या (Document)	स्केन पृष्ठो की संख्या (NoteSheet)	स्केन पृष्ठो की संख्या (Document)	कुल स्केन पृष्ठो की संख्या (NoteSheet + Document)	वेंडर से भौतिक फाईल प्राप्त करने वाले मनोनीत विभागीय कार्मिक के हस्ताक्षर, नाम, पद मय सील/रूम नम्बर व दिनांक	विभाग द्वारा वेंडर से PDF Files प्राप्त करने वाले मनोनीत कार्मिक के हस्ताक्षर नाम, पद मय सील/रूम नम्बर व दिनांक	विभाग के [illegible] अधिकारी द्वारा [illegible] हस्ताक्षर मय सील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism
"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism
"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

Annexure-F

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved

Government of Rajasthan
Department of Tourism
"Peryatan Bhawan", Opp. Vidhayak Puri Police Station, M.I. Road, Jaipur-302001
Phone-91-141-2822861 Website : www.tourism.rajasthan.gov.in

(Annexure 'F')

➢ **Pdf फाईल को split करने की प्रक्रियाः–**

मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार इन दिनों सचिवालय के समस्त विभाग efile का उपयोग कर रहे है। इस हेतु पूर्व से फिजिकल फाईल की नोट शीट व दस्तावेजों (PUCs) को स्कैन किया जा रहा है। स्कैनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी नोटशीट को एक साथ स्कैन कर पीडीएफ फाईल User को उपलब्ध होती है। राजकाज एप्लीकेशन में 50 MB तक साईज की फाईल को ही upload किया जा सकता है। कार्मिक पीडीएफ फाईल को निम्न प्रकार split कर सकता है:–

1. कार्मिक पीडीएफ फाईल को Open करें।
2. Ctrl+P प्रेस करें।
3. Printer नाम में "Microsoft print to pdf" सलेक्ट करें।
4. Print Range ऑप्शन में Page Range (जैसे 5–14) Enter करें।
5. Ok बटन प्रेस करें।
6. 'Save Print Output As' विण्डो में filename type करें, फाईल टाईप pdf ही रहने देवें।

इस प्रकार आपकी नोटशीट के 5 से 14 तक की पृष्ठ संख्या split हो जाएगी जिसे आप अपनी efile में लिगेसी डाटा में अपलोड कर सकते है। इसी प्रकार फाईल की अन्य नोटशीट (पृष्ठ 1 से 4 तथा 15 से आगे......) व PUC के पृष्ठ भी split कर अपलोड किये जा सकते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Pande
Designation : Additional Director
Date: 2023.04.17 16:29:27 IST
Reason: Approved